विश्व खाद्य कार्यक्रम

1. लक्ष्य :

विश्व खाद्य कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य भूख एवं खाद्य असुरक्षा को दूर करने के लिए राज्य के प्रयासों में उपप्रेरणात्मक भूमिका निभाना होगा।

2. उद्देश्य :

दीर्घकालिक उददेश्य :

- अत्याधिक प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त व्यक्ति की दीर्घकालिक पारिवारिक खाद्यान्न असुरक्षा को वन जैसी पूंजी के संरक्षण एवं निर्माण द्वारा सुधार करना।
- पूंजी के संरक्षण एवं निर्माण द्वारा, साथ ही उनके संसाधनों के प्रबंधन के लिए उनकी क्षमता का निर्माण कर, लक्षित जनसंख्या पर आपदा के प्रभाव को कम करना।
- कार्यान्वयन प्रक्रिया, क्रिया एवं प्रतिदर्श को विकसित एवं प्रदर्शित करना, जिससे पारिवारिक खाद्यान्न सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण हो सके।
- दाताहिस्सेदारों के सहक्रियाशील प्रयासों के माध्यम से लक्षित जनसंख्या के लिए कार्यक्रम की प्रभावकारिता एवं लाभ में सुधार करना।

तत्कालिक उद्देश्य :

- लक्षित जनसंख्या के लिए वन पुनरूत्पादन एवं वन पहुंच के माध्यम से आजीविका आधार में वृद्धि करना।
- उत्पादन परिसम्पत्तियों को विकसित करने के प्रयासों में, सबसे अधिक खाद्य असुरक्षित परिवारों की तत्कालिक खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति करना।
- काम के बदले अनाज गतिविधियों में अधिक हिस्सेदारी तथा परिसम्पत्तियों / संसाधनों के संपोषणीय उपयोग के प्रबंधन में भागीदारी के माध्यम से समुदायों विशेषकर महिलाओं को अधिक अधिकार सुनिश्चित करना।

3. मध्यप्रदेश में विश्व खाद्य कार्यक्रम का संक्षिप्त इतिहास :

राज्य में अभी तक कुल 4 परियोजनाएँ कार्यान्वित की जा चुकी है।

- विश्व खाद्य कार्यक्रम की प्रथम परियोजना 2684 मध्यप्रदेश में दिनांक 1—1—86 को प्रारंभ हुई । प्रथम वर्ष में केवल 8 जिलों को सम्मिलित किया गया तथा बाद में तृतीय एवं चौथे वर्ष में समस्त 45 जिलों में यह योजना लागू की गई। इस परियोजना की अवधि दिसम्बर 89 तक थी परन्तु इसे बढ़ाकर 30 जून 1990 किया गया।

- द्वितीय परियोजना 3227 दिनांक 1—7—90 से 30—6—94 की अवधि के लिए समस्त 45 जिलों में प्रारंभ की गई। इस परियोजना को 30—6—96 तक बढ़ाया गया। परियोजना 3227 एवं 5569.01 के मध्य "सेतु चरण" केवल 18 जिलों में लागू किया गया। यह 30—9—97 के अंत तक चला।
- तृतीय परियोजना 5569.01 पूर्व मध्यप्रदेश के 11 जिलों में 1—10—97 से प्रारंभ की गई तथा 1—4—98 से सिवनी जिले में प्रारंभ की गई। जिला पुर्नगठन के अंतर्गत इन 12 जिलों को विभक्त कर 21 जिले बनाये गये। नवम्बर 2000 में राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् इन 21 जिलों में से 10 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले गये। मध्यप्रदेश राज्य के 11 जिलों में इस परियोजना का कार्यान्वयन किया गया था। यह जिले हैः— बालाघाट, छिन्दवाड़ा, डिन्डोरी, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, मण्डला, शहडोल, सिवनी, सीधी एवं उमरिया। यह परियोजना 31—3—03 को समाप्त हो चुकी है, परन्तु शेष निर्माण कार्यो का कार्यान्वयन 30—6—05 तक निरन्तर चलता रहा।
- चतुर्थ एवं वर्तमान परियोजना 10107.0 एक्ट 3 दिनांक 1—4—03 से प्रारंभ हुई तथा यह पश्चिमी मध्यप्रदेश के 7 जिलों में 5 वर्ष तक निरन्तर चलेगी। यह जिले है :— बैतूल, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगौन, बड़वानी, धार एवं झाबुआ ।

4. लाभार्थी एवं लाभ :

- विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा प्रदायित खाद्यान्न के सीधे लाभार्थी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति के परिवार होगें। खाद्यान्न का आय स्थानांरण मूल्य परिवारों के लिए महत्वपूर्ण अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराता है।

5. महिलाओं पर अपेक्षित प्रभाव :

- विश्व खाद्य कार्यक्रम की महिलाओं के प्रति वचनबद्धता के मद्देनजर परियोजना में महिलाओं के अधिक जुड़ाव के लिए लक्ष्य एवं अनेक प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई है । लिंग

मुख्यधारा पहुंच को अपनाया गया है तथा जिन विभिन्न तरीकों से इसे किया जाना है वह निम्नानुसार हैं :–

- काम के बदले अनाज की गतिविधि के सीधे लाभार्थीयों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी तथा बनाए गए ग्राम विकास समितियों/ उपभोक्ता समूहों के सदस्यों में 30 प्रतिशत महिलाएँ (भविष्य में 50 प्रतिशत) समाविष्ट होंगी।
- मानव विकास पूंजी (क्षमता विकास) के निर्माण में महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत 50 प्रतिशत होने की आशा है, खाद्यान्न से प्रशिक्षण के माध्यम से पृथक से महिला समूहों को लक्षित करना विचारणीय है (स्व सहायता समूह एवं खाद्य बैंक)। इसके अतिरिक्त ली गई गतिविधियॉं के दीर्घकालिक लाभ महिलाओं की आवश्यकता पूर्ति करने में और अधिक सहायक सिद्ध होने की आशा है (उदाहरणार्थ खाद्य बैंक, पीने के पानी की सुविधा, तालाब इत्यादि)

- गैर शासकीय संगठनों तथा द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय संस्थाओं के द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे कार्यो में सहायता देना जो महिलाओं को लक्षित करते है।

6. खाद्य सामग्री की प्राप्ति एवं वितरणः

अभी तक कियान्वित की गई 4 परियोजनाओं में खाद्य का वितरण निम्नानुसार रहा :–

- परियोजना कमांक 2684 (1–1–86 से 30–6–90) में गेहूं/चावल, वनस्पति तेल एवं दालों की प्राप्ति 69024, 4782 एवं 4636 मे.टन एवं उपयोगिता 100 प्रतिशत।
- परियोजना कमांक 3227 सेतु चरण सहित (1–7–90 से 30–9–97) में गेहूं/ चावल, वनस्पति तेल एवं दाल की प्राप्ति 164853, 15597 एवं 15312 मे0टन एवं उपयोगिता 100 प्रतिशत।
- परियोजना कमांक 5569.01 (1–10–97 से 31–3–2003) में गेहूं/ चावल 31908 मे0टन, दाल 2507 मे0टन एवं वनस्पति तेल 1053 मे0 टन का उपयोग किया गया।
- परियोजना 10107.0 एक्ट 3

1.

	गेहूं (मे0टन)	दाल (मे0टन)
लक्ष्य	14490	1160
वितरण (**vxLr**/ 08 तक)	8135	576

2. दैनिक पारिवारिक भोजन की मात्रा

गेहूं – 2.5 किलोग्राम

दाल – 200 ग्राम

3. मजदूरी कटौती दर – रू0 13 /–(एक दैनिक पारिवारिक भोजन की मात्रा के लिए)

गेहूं – रू0 10.50

दाल – रू0 02.50

7. कल्याण निधिः

- विश्व खाद्य कार्यक्रम के द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए काम के बदले अनाज से उत्पन्न कल्याण निधि का उपयोग वर्ष 1987 में प्रारंभ किया गया। तब से इस निधि का उपयोग वानिकी, कृषि, सामुदायिक अद्योसंरचना एवं आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में किया जा रहा है, जिससे वन आधारित परिवारों को अपने रोजगार के साधनों को अन्य व्यवसायों में स्थानांतरित करने में सहायता मिल रही है। वन विभाग, गैर शासकीय संगठनों के साथ मिलकर राज्य के चुने हुए जिलों एवं ग्रामों में विकास गतिविधियों का कार्यान्वयन करता है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम की चार परियोजनाओं में उत्पन्न कल्याण निधि का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

1. परियोजना क्रमांक 2684 एवं 3227 – रू0 93.85 करोड़ (ब्याज सहित)
2. परियोजना क्रमांक 5569.01 – रू0 15.8 करोड़ (ब्याज सहित)
3. परियोजना क्रमांक 10107.0 एक्ट 3 – रू0 45.95 fefy;u (vxLr/ 2008 तक)

8. विकास कार्यो का अनुमोदन :

कल्याण निधि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यो में किया जाता है। विकास कार्यो का अनुमोदन राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में होता है। परियोजना 2684 एवं 3227 में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 33 बैठके हुई तथा रू0 93.7 करोड़ मूल्य के 6306 विकास कार्य, 9650 हे0 में वृक्षारोपण एवं 1056 कि0मी0 वन मार्गो के उन्नयन कार्य अनुमोदित किये गये। परियोजना 5569 में 7 राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठकें हुई जिसमें 124 माईक्रो प्लान ग्रामों में रू0 17.03 करोड़

मूल्य के विकास एवं सेक्टोरल कार्यो की स्वीकृति दी गई। परियोजना क्रमांक 10107.0 एक्ट 3 के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 5 बैठकें आयाजित हो चुकी है एवं इसमें रू0 7.214 करोड़ मूल्य के विभिन्न कार्यो का अनुमोदन किया गया है।

9. परियोजना में लिये गये विकास कार्यो की प्रकृति :

- कल्याण निधि से वन विभाग एवं गैर शासकीय संगठनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉं संचालित की गई है। 80 प्रतिशत की निधि विभाग के माध्यम से एवं शेष 20 प्रतिशत की राशि गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से व्यय किया जाना है ।
- विभाग एवं गैर शासकीय संगठनों के द्वारा सम्पादित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को निम्न 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है :—

अद्योसंरचना विकास गतिविधियॉं :

- स्टॉप डेम निर्माण,
- रपटा निर्माण,
- उद्वहन सिंचाई,
- पुलिया
- तालाब निर्माण(निस्तार)
- गोदाम निर्माण

सामाजिक आर्थिक गतिविधियॉं।

- आंगनवाड़ी भवन
- विद्यालय निर्माण
- हैण्डपम्प/ टयूब वेल,
- सामुदायिक हाल
- कुॅआ
- स्वास्थ्य कैम्प
- सौर उर्जा विद्युतीकरण
- क्षमता वृद्धि विकास

महिला गतिविधियॉं :

- स्व–सहायता समूह निर्माण
- आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियॉं

–मछली पालन,
–रस्सी निर्माण
–टोकरी निर्माण,
–बड़ी पापड़ निर्माण,
–मनका कार्य,
–मुर्गी पालन, कुकरमुत्ता खेती,
–हस्तशिल्प,
–आटा चक्की,
–सब्जी की खेती व बेचना,
– किराना दुकान

10. गैर शासकीय संगठनों की सहभागिता :

गैर शासकीय संगठनों, जिसमें ऐसी पंचायती राज संस्थाऍ जो स्थानीय परिस्थितिओं से परिचित हैं एवं जिन्हें स्थानीय समुदायों का विश्वास प्राप्त हो को ग्राम समुदायों की समीपी सहभागिता से योजनाओं एवं गतिविधियों की अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन में सम्मिलित किया जायेगा।

गैर शासकीय संगठनों की भूमिका निम्न मुख्य क्षेत्रों में रहेगीः–

अ/ गतिविधियों में सम्मिलित करने के लिए ग्रामों की पहचान करने में सहायता करना।

ब/ ग्रामीण समुदायों के मध्य प्रशिक्षण, गतिविधियों/ योजनाओं की अभिकल्पना,अभिप्रेरणा एवं जागरूकता निर्माण करना।

स/ उनकी तकनीकी सामर्थ्य के अंतर्गत आने वाली खाद्यान्न एवं कल्याण निधि गतिविधियों को सीधे कार्यान्वित करना।

द/ राज्य वन विभाग को स्थानीय समुदाय के संघटन में सहायता देना एवं जहां आवश्यक हो गतिविधियों/ योजनाओं का कार्यान्वयन करना।

कल्याण निधि का न्यूनतम 20 प्रतिशत भाग गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से व्यय किया जायेगा।

परियोजना क्रमांक 3227 एवं 5569.01 में गैर शासकीय संगठनों को विकास गतिविधियों

विशेष कर महिलाओं के लिए आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम की योजना क्रमांक 5569.01में विभिन्न गैर शासकीय संगठनों को म0प्र0 के 11 जिले में कार्य दिया गया था ।

विश्व खाद्य कार्यक्रम की विगत योजना क्रमांक 5569.01 से सबक लेते हुए गैर शासकीय संगठनों के चयन के मापदण्ड निर्धारित किये गये है तथा इसका अनुमोदन राज्य स्तरीय समन्वय समिति के द्वारा किया गया है एवं इसी के अनुरूप गैर शासकीय संगठनों को चयन करने का कार्य प्रारंभ किया गया है ।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा बैठक दिनांक 12/03/07 में निम्न 8 गैर शासकीय संगठनों को चयनित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

1. Swami Vivekanand Shiksha Samiti (SVSS)
MIG-20/3A, Saket Nagar, Bhopal 462024

2. Center For Rural Development & Environment (CRDE)
170, Arvind Vihar, Bagh Mugaliya, Bhopal 462043

3. PRADAN
Sukhtawa, Hoshangabad

4. Center For Advance Research & Development (CARD)
E-7/803, Arera Colony, Bhopal- 462016

5. Vasudha Vikas Sansthan
26, Sharad Chandra Marg, Dhar-454001

6. National Center for Human Settlement & Environment
E-5/A, Girish Kunj, Arera Colony, Bhopal-462016

7. Bhopal Yuwa Paryawaran Shikshan & Samajik Sansthan
11 Suruchi Nagar, Kotra Sultanabad, Bhopal-462003

8. Action For Social Advancement (ASA)
E-5/A, Girish Kunj, Arera Colony, Bhopal

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 23/11/07 में निम्न एक और गैर शासकीय संगठन को चयनित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया ।

9. Gram Bharti Mahila Mandal
Patha kheda, Betul

राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक दिनांक 23/11/07 में गैर शासकीय संगठनों को निम्न दो प्रकार की गतिविधियां स्वीकृत की गई ;

1. संयुक्त वन प्रबन्धन समितियों का क्षमता वृद्धि विकास – रू.47.66 लाख
2. Wise Water Management - रू.62.40लाख

11. विश्व खाद्य कार्यक्रम के नवीन कदम :

प्रायोगिक परियोजना "खाद्यान्न से मानव विकास" बालाघाट,मण्डला, सिवनी एवं छिन्दवाड़ा जिलों के 41 ग्रामों के समूह में ली जा रही है। इस परियोजना की अवधि 12 माह होगी तथा इसकी शतप्रतिशत लक्षित लाभार्थी महिलाएॅ है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली एवं लगभग 48 से 50 वर्ष आयु की है। परियोजना का उद्देश्य खाद्यान्न प्रोत्साहन का उपयोग करके परियोजना के ग्रामों में महिला एवं स्व–सहायता समूहों को समर्थ करके स्वास्थ्य , शिक्षा, पोषण तथा सफाई व्यवस्था के क्षेत्रों में सामाजिक सेवाओं के प्रदाय में सुधार से समुदायों के मानव व सामाजिक पूंजी का सुदृढ़ीकरण है। इस प्रायोगिक परियोजना का अपेक्षित परिणाम आई. सी.डी.एस.,व मध्यान्ह भोजन, स्वास्थ्य सेवाएॅं एवं अन्य सामाजिक सेवाओं की प्रदाय व्यवस्था में सुस्पष्ट सुधार लाना है। इस परियोजना का क्रियान्वयन गैर शासकीय संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है ।

सभी चार जिलों में गैर शासकीय संगठनों के चयन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सिवनी में दिनांक 28 एवं 29 अप्रैल 2006 को दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था जिसमें गैर शासकीय संगठनों एवं स्थानीय वन कर्मियों को चुने हुए जिलों के ग्रामों में बेस लाईन सर्वे करने के औजारों का प्रशिक्षण दिया गया। चारों गैर शासकीय संगठनों के द्वारा एम. ओ. यू. हस्ताक्षरित कर लिया है तथा बेस लाईन सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

गैर शासकीय संगठनों के द्वारा ग्राम स्तरीय कार्य योजना तैयार कर ली है तथा उनसे मार्च 2007 में विस्तृत चर्चा कर उन्हें इन ग्राम स्तरीय कार्य योजना की कमियों से अवगत कराया गया तथा इन्हें सुधारने के निर्देश दिये गये । मार्च 2007 में ही जिला स्तर पर जिला अधिकरियों एवं संबंधित गैर शासकीय संगठनों से बैठक की गई जिसमें जिला अधिकारियों को परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया तथा उनसे स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण करने के लिये उनकी सहायता प्राप्त करने के लिये अवगत कराया गया । गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा चयनित स्व सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया तथा यह परियोजना 1 मई 2007 से प्रारम्भ हो गई है । इस परियोजना की मध्यकाल समीक्षा माह नवम्बर 2007 में की गई तथा इसमें उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए है ।